



मेले पर रोक लगाने की उठी मांग फिर एक बार शुरू हुआ ज्ञापन का दौर

# व्यापारियों में तीन-तीन पनपता जा रहा आक्रोश, न्याय नहीं तो लेंगे व्यापारी न्यायालय की शरण

**व्यापारी बोले ना राज्य मंत्री सुनने को तैयार ना सांसद, अब आखिर जाएं तो कहाँ**

द पुलिस पोस्ट

**शिवगंज** – शहर के महाराजा मैदान में आयोजित होने वाला फेस्टिवल लगातार सुर्खियों में आ रहा नजर, जिसे लेकर स्थानीय व्यापारियों ने 19 जुलाई शुक्रवार को जिला कलेक्टर के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंप उक्त मेले की स्वीकृति निरस्त करवाने की मांग उठाई थी लेकिन उसके बावजूद बाहरी व्यक्ति के द्वारा मेला लगाने को लेकर तैयारियां जोरें पर देखते हुए उक्त मामले को लेकर व्यापारियों ने बताया कि हमारे द्वारा राज्य मंत्री एवं सांसद दोनों को ही फोन के माध्यम से अवगत करवाया गया लेकिन किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं होता देखकर हमारे द्वारा निम्नांकित 8 मांगों का लिखित ज्ञापन तैयार कर मेल के माध्यम से केंद्र एवं राजस्थान सरकार के जनप्रतिनिधियों एवं आला अधिकारियों को भेजा गया। तत्पश्चात मंगलवार की सुबह व्यापारियों ने एकजुट होकर पूर्व विधायक संघ मेला के निवास स्थान पहुंचकर पूर्व विधायकों को मामले से अवगत करवाया एवं निवेदन करते हुए मांग की की अगर यह मेला लगता है तो स्थानीय व्यापारियों के घर का पालन पोषण तक करना मुश्किल हो जाएगा, व्यापारियों को पूर्व विधायक लोड़ा के आश्वासन के बाद एक सुखद अनुभूति का आभास महसूस हुआ। व्यापारियों ने पत्र के माध्यम से अवगत करवाया की कुछ दुकान किराए की तो कुछ दुकान स्वयं की है वही हम व्यापारी जीएसटी सहित टैक्स भरते हैं, कुछ दिन पहले मनोरंजन मेला के नाम पर एक बाहरी व्यक्ति ने उपखंड अधिकारी एवं नगर पालिका से महाराजा मैदान में मेले के रूप में व्यापार के लिए दुकान लगाकर व्यापार हेतु अनुमति मांगी जिसको नगर पालिका ने मात्र उस व्यक्ति से यह शुल्क भरवाया की महाराजा मैदान की साफ-सफाई एवं फायर की गाड़ी उपलब्ध करवाने हेतु रसीद काटी, उपखंड अधिकारी ने भूमि की किस्म की रिपोर्ट तहसीलदार शिवगंज से लिए बिना ही भूमि पर मेला लगाने की अनुमति दे दी जबकि खसरा संख्या 89/90 भूमि का वर्गीकरण किस्म कृषि भूमि पड़त है, कृषि भूमि का बिना भु उपयोग परिवर्तन किए कृषि भूमि पर व्यापार करने की एनओसी देना न्योगित नहीं है। जिसका उपखंड अधिकारी द्वारा पालन नहीं किया गया एवं दिनांक 16 जुलाई को मेला व्यापार लगाने की अनुमति प्रदान कर दी गई। इस बात को लेकर हम



सभी व्यापारिगण जब उपखंड अधिकारी को मिले तो वे एक लोक सेवक होते हुए उन्होंने व्यापारी को कहा कि मैंने एनओसी दे दी है लेकिन उन्होंने जो नगर पालिका में जमा करवाया है वह तुम व्यापारी तुम्हारे जब से टैदी जबकि हम फरियाद लेकर जाए तो किसके पास व्यापारियों ने बताया कि आगे तो बिना सीजन के हमला लोग बैठे हैं स्टाफ की सैलरी तक देना भारी पड़ रहा है उसे पर भी यदि बिना बिल के माल खरीद कर कम्पनी दाम पर ग्राहक को यदि मेला लगाकर बेचने लगेंगे तो हमारे पास कौन ग्राहक आएगा, व्यापारियों ने बताया कि दुकान के भरोसे ही हमारे परिवार का पालन पोषण बच्चों की पढाई होती है। व्यापारियों ने मांग करी कर्फ़ा 16 जुलाई को उपखंड अधिकारी के द्वारा दी गई स्वीकृति को अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त कर शहर के 500 लघु उद्योग व्यापारियों को राहत प्रदान करवाइ जाए। हम तैयार हैं जिन्हें मिंट गत धर्मार्थ संगठन

सोनी, बाबूलाल, भरत कुमार विक्रम सहित कश्यपा व्यापारी उपस्थित रहे।

## क्या कहना है इनका

पूर्व विधायक संयम लोढ़ा की बात को लेकर हम व्यापारी सभी संतुष्ट हैं, मेरे द्वारा सांसद कों भी फोटो कर महाराजा मैदान में लगने वाले फेस्टिवल को लेकर अवगत करवाया गया था।

रुपेश सोनी, व्यापारी -शिवगंज

इस तरह के फेस्टिवल लगने से स्थानीय व्यापारियों को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है, मेरे के व्यापारी घटिया माल सस्ती दर में बेचते हैं जिससे स्थानीय लोग खरीद कर ले जाते हैं जिसके चलते व्यापारियों को भी नुकसान एवं आमजन को भी इसका नुकसान उठाना पड़ता है।



**शिवगंज**  
हम व्यापारियों के साथ है अगर मेला लगने से  
व्यापारी को नुकसान होता है तो मामले को लेकर  
मंत्री जी से बात कर कर व्यापारियों को अवगत  
करवाया जाएगा ।

**ताराराम कुमावत, अध्यक्ष - भाजपा नगर मंडल**

**शिवगंज**  
फेस्टिवल को लेकर शहर में कुछ दिनों से विवादित  
माहौल बना हुआ है, व्यापारियों की भावना को ध्यान  
में रखते हुए उपखंड प्रशासन को समय रहते हुए  
मेले के लिए दी गई स्वीकृति को निरस्त कर  
व्यापारियों को राहत प्रदान करनी चाहिए ।

**कुन्दनमल राठी, भाजपा नगर मंडल महामंत्री -**

**शिवगंज**  
शहर में लगने वाले फेस्टिवल का मौजूद जोर विरोध  
करता है । ऐसे-ऐसे फेस्टिवल ज्ञानों से मौजूद कर्मी

आतें हैं। जिसके चलते व्यापारियों को खासा नुकसान उठाना पड़ता है।

**पार्षद लक्ष्मण परिहार, व्यापारी -शिवगंज**

शहर में कांग्रेस के राज में 5 साल तक कोई मेला नहीं लगा था, लेकिन भाजपा राज में मेला लगने से व्यापारियों की भावनाएं आहत हो रही है। प्रशासन को इस पर उचित कार्रवाई करनी चाहिए।

**प्रकाशराज भीणा, यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष**

अभी नगर पालिका में बोर्ड कांग्रेस पार्टी का है अगर नगर पालिका अधिकारी ने स्वीकृति दी है तो पालिकाध्यक्ष को अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नगर मंडल अध्यक्ष द्वारा अधिकारियों का साथ देना व व्यापारियों के खिलाफ जाना पार्टी के हित की बात नहीं है इन पार्टी से इस्तीफा देना चाहिए सीमादेवी माली पूर्व प्रतिपक्ष देना यामा पालिका मंडल चिनांने

# देश का बजट व भाजपा जिला महामंडी ने की प्रसन्नता

द पुलिस पोस्ट



पुलिस थाना रायपुर द्वारा 6 ट्रेक्टरों मय ट्रॉलीयों को कोठारी नदी से अवैध बजरी खनन मे डिटेन किये गये

द पुलिस पोस्ट

जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाडा श्री राजन दुष्प्रन्त आईपीएस आदेषानुसार श्री रोषन पटेल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सहाडा भीलवाडा व श्री रितेष कुमार वृताधिकारी वृत्त गंगापुर के निकटतम सुपरविजन में थाना क्षेत्र की कोठारी नदी से लगातार हो रहे अवैध बजरी खनन रोकथाम हेतु श्री राजेन्द्र सिंह उ.नि. थानाधिकारी रायपुर के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा कार्यवाही कर अवैध बजरी खनन व परिवहन करते कुल 08 ट्रेक्टर मय टालियों में 18 टन अवैध बजरी से भरे हये को 21.07.24 को थानावकारा राजप्रदर्शन भव छोड़ कानि ओकारसिंह 347, हैड भवानी सिंह हैड कानि धीसालाल 552, कानि सुनिल कानि राजेश 924 कानि शेतानसिंह 1524, चौहानी महेन्द्र 1414 द्वारा रात्रि गस्त के दौरान कोठारी नदी से अवैध बजरी खनन करते हुये 06 ट्रेक्टर मय ट्रालियो में अवैध बजरी भरी हुयी व 02 ट्रेक्टर मय ट्रॉलियो में अवैध बजरी भरी हुयी को परिवहन करते हुये को डिटेन कर थाना रायपुर से खड़े कराये गये। अग्रीम कार्यवाही सञ्चालन मार्डिंग तिभाग को दी गई। उक्त ट्रेक्टर


नौकरी में नहीं ली छुट्टी फिर भी ले ली इंजीनियर की डिग्री  
राजस्थान में 32 अभियंताओं ने तो पदोन्नत तक ले ली

द पुलिस पोस्ट

B.Tech in Electrical Engineering (Highly Structured Examination - JULY 2012)										
ROLL NO.: 64300 Enrollment No.: EG-0109/2011-12										
NAME: RAMESH CHAND SHARMA VISHNU CHAND SHARMA ANGRIPUR DEO										
Mother's Name:										
Paper Code	University Examination			Internal Assessment			Total			Remarks
	Highest Marks	Marks Awarded	Written Marks	Highest Marks	Marks Awarded	Highest Marks	Max. Marks	Marks Awarded		
ECE101	75	70	25	25	20	100	50	52	P	
ECE201	75	30	25	25	20	100	50	50	P	
ECE202	75	30	25	25	20	100	50	50	P	
ECE301	100	100	100	100	100	100	100	100	S	
ECE302	75	64	20	24	100	100	50	50	P	
<b>Total</b>	<b>450</b>	<b>394</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>S</b>	
<b>Grand Total:</b>	<b>500</b>									
<b>Passed:</b>										
<b>Subject Details:</b>										
ECE101: Digital Circuits										
ECE201: Design & Estimation Of Electrical Systems										
ECE202: Control Machine Design										
ECE301: Project										
ECE302: Numerical Methods (Practical)										
Subject	Summative	Summative	Summative	Summative	Summative	Summative	Summative	Summative	Grand Total	
ECE101	(L1)	(L2)	(L3)	(L4)	(L5)	(L6)	(L7)	(L8)	(L9)	
ECE201	(L1)	(L2)	(L3)	(L4)	(L5)	(L6)	(L7)	(L8)	(L9)	
ECE202	(L1)	(L2)	(L3)	(L4)	(L5)	(L6)	(L7)	(L8)	(L9)	
ECE301	(L1)	(L2)	(L3)	(L4)	(L5)	(L6)	(L7)	(L8)	(L9)	
ECE302	(L1)	(L2)	(L3)	(L4)	(L5)	(L6)	(L7)	(L8)	(L9)	
Signature: _____ Date: _____										
Examiner By : _____ Verified By : _____ Scrutinized By : _____										
Signature: _____ Date: _____										

MEMORANDUM OF MARKS								
B.Tech M. Electrical Engineering (Eight Semesters) Examination - JULY 2012								
102	Rajesh J. 64530		Registration No : EEE-02092231403					
RAMESH CHAND SHARMA VISHNU CHAND SHARMA ANGUKEE DEVI								
Student's Name:		Internal Assessment		Total		Remarks		
University Examination	Maximum Marks	Maximum Marks	Maximum Marks	Half/Min. Marks	Half/Min. Marks	Half/Min. Marks		
	Mark Secured	Mark Secured	Mark Secured	Secured	Secured	Secured		
75	71	26	24	100/40	37	100/40		
75	70	25	24	100/40	37	100/40		
75	70	100	85	100/40	85	100/40		
				<b>500</b>	<b>227</b>	<b>227</b>		
				<b>Grade</b>	<b>B</b>	<b>B</b>		
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
Total	Semester III	Semester IV	Semester V	Semester VI	Semester VII	Semester VIII	Grand Total	
	423 / 700	448 / 700	426 / 700	433 / 700	449 / 700	337 / 500	2514/4000	
F- Fall	Grade Mark							

इन्होंने पूरी नौकरी कर ली है ऐसे का अधिकारी रिटायरमेंट भी हो चुका है जिन्होंने राजस्थान सरकार के करोड़ों रुपए फजीर्वाड़ा में उठाकर आनंद कर रहा है अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाई करवाना खुद फर्जी पर लगे हुए हो सकता है कि उनके बच्चों की डिग्री भी फर्जी हो अनुपात भी जानबूझकर बिगड़ा पिछले तीन भारतीयों की बात करें तो डिग्री और डिप्लोमा में पहली बार 80 और 20 का अनुपात था दूसरी भर्ती में 85 और 15 का कर लिया तीसरी भर्ती में 52 से 48 का कर लिया इतना ही नहीं नियम विरोध जाकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने डिग्री तर्कों को फायदा पहुंचाया डिप्लोमा कार्य में एक पद्धति लेने के लिए डिग्री फजीर्वाड़ा का ली और दूसरी क्रांति के लिए भी ले ली जबकि डिग्री धारक अभियंता का एक ही प्रमोशन नहीं हो पाया इसीलिए स्वायत्त शासन विभाग में पैसा लेकर कुछ फजीर्वाड़ा कर दो चलता है यहां पर कासालों से जमकर बैठे यह अभियंता पैसे देकर नौकरी कर रहे इन अभियंताओं ने इंजीनियर की डिग्री लेने के लिए नौकरी र



विभाग स्वास्थ्य शासन विभाग राजस्थान का अतिरिक्त कार्य भार पास ऑफिस जाने 99 पर पूर्ण विचार करना तो दूर की बात है इन्होंने इसका रिकायारमेंट भी वही से किया डबल डबल सरकारी फायदा उठाया पूर्व में भ्रष्टाचार ढ्यूरो जयपुर में भी इन फर्जी डिग्री तारीखों के लिए पत्र लिख चुके हैं जो इस रमेश चंद शर्मा की डिग्री लगी हुई है कुल 32 कर्मी ऐसे हैं जिसने फर्जी डिप्लोमा पर डिग्री पर नौकरी की है ऐसे ही सैकड़ों और कर्मी भी हैं जो स्वायत्त शासन विभाग में सफाई निरीक्षक के पद पर आज भी नौकरी कर रहे हैं इन सभी डिप्लोमा धारियों व डिग्री कार्यों की नौकरी की जांच कर इन्हे जेल भेजना चाहिए ना कि इनका प्रमोशन करना चाहिए ऐसे ही यह रवैया चला रहा तो राजस्थान सरकार ढूबते वक्त नहीं लगेगा क्योंकि यह फर्जी डिग्री तारक डिग्री उठा देते हैं ऐसे ही पांच कॉलेज में फर्जी डिप्लोमा दिए गए हैं जो आज भी चल रहे हैं तीस हजार में फायर पचास हजार में एसआई व एक लाख में अन्य डिप्लोमा पांच लाख में डिग्री मिल जाती उसके दलाल भी स्वायत्त शासन विभाग निर्देशक











# यूआईटी भीलवाड़ा का नया कारनामा आया सामने,

# अब तिलक नगर पोजना के मुआवजे में आया घोला और भृष्टाचार का प्रकरण





ना गलत मुआवजे का, ना ही पत्रावली खोने का मुकदमा दर्ज करा रही यूआईटी, आखिर किसको बचाने का है प्लान...??

**नगर विकास न्यास के घोटाले के पीछे आरिंद्र कौन है  
सफेदपोश और अधिकारी कर्मचारी जिम्मेदार, कैसे बन  
गए यूआईटी के कर्मचारी अबपति.....?**

सरकार से बड़े कैसे हो गए  
यूआईटी भीलवाड़ा के ठेकेदार,  
अवैध भू कारोबारी और भू  
माफिया, यह कब जाएंगे सलाखों  
के पीछे..... ?

द पलिस पोस्ट

भीलवाड़ा तिलक नगर योजना में राजस्व ग्राम भीलवाड़ा की आराजी नम्बर 1659,1661,1662,1665,1666 कुल रकबा चार बीघा जो नगर विकास न्यास भीलवड़ा द्वारा अवास कर प्रकरण संख्या 390/91 निर्णय दिनांक 26.08.1994 को किया गया। इसमें न्यास के भ्रष्ट अधिकारी व कार्मिक अपनी दूषित कार्यकलापों व दस्तावेजातों के चलते अपनी पुर्ति हेतु मिलीभगत कर 15 प्रतिशत का मुआवजा दिया गया। मौका स्थिति पर नगर विकास न्यास भीलवाड़ा का एक इंच भी कब्जा नहीं होकर खातेदार को प्रतिफल स्वरूप मुआवजा गलत भामक व दूषित कृत्यों व



खतेदार भगवती उर्फ बागो पुत्री श्री गजाननद माली  
जिसका मुख्तियार नामा आम राजेश कुमार शर्मा  
पूत्र बंसती लाल शर्मा को निम्न भूखण्ड दिये थे।

01. ३-ए-१ साईंज ३९८९ (कोर्नर)  
 02. ३-ए-२९ साईंज ३९८९ (कोर्नर)  
 03. ६-प्राप्त-१ साईंज ३९८९ (कोर्नर)

०३. ८-एक-१ साइज ३५४८ (कानर) व अन्य भूखण्ड दिये गये। इस संदर्भ में मिली सुत्रों से जानकारी अनुसार भगवती उर्फ बागे पुत्री श्री गजान्नद माली नाम कि कोई वारिसान थी ही नहीं फिर भी किस रसुकदार भूमाफिया, भूकारोबारी, दलाल, न्यास के अधिकारी व कार्मिक ने सरकार के कोष को हानि पहुंचाने के लिये व अपनी पुर्ति करने के लिए इतना बड़ा भ्रष्टाचारी खेल खेला जो जाँच देने पर दोनों दिवसों में आपनी वारिसानी की ताँत का बदल दिया है।

उल्लेखनीय है कि भ्रष्टाचार निरोधक व्यूरो अजमेर की टीम ने कुछ दिनों पहले नगर विकास न्यास का रिकॉर्ड जब्त किया है। लोगों का कहना है की गहराई से जांच होगी तो दोहरे भुगतान के मामले भी भ्रष्टाचार निरोधक व्यूरो के सामने आ जाएंगे और इसके बाद कई बड़ी मछलियों की गर्दन एसीबी जांच में फंस सकती है। अब देखना होगा कि कितने दिनों तक बकरे की अम्मा खैर मनाती है। तिलक नगर के मामले में नगर विकास न्यास के लोगों का ही कहना है कि एसीबी की तर्ज पर ही अगले कुछ दिनों में यहां एक दूसरी बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है क्योंकि सरकार में बैठे लोगों के पास यूआईटी भीलवाड़ा के कारनामे एक-एक कर पहुंच रहे हैं जिनकी सभी

का जाय हाना लगभग तय ह ।

राजकोष को पहुचाने के बाद भी क्यों निवर्तमान व वर्तमान अधिकारी एफआईआर दर्ज कराने से डरते व कतराते हैं जिसके चलते रसुकदार भूमाफिया, भूकारोबारी, दलाल, न्यास के अधिकारी व कार्मिक के होसले बुलन्दीयों पर होकर अल्प समय में ही अकूक सम्पत्ति के मालिक हो गये जिससे आमजन को तो कार्य करवाने में चक्कर पे चक्कर लगाने पड़ते हैं फिर भी कार्य नहीं होता है लेकिन भूकारोबारीयों और भूमाफियाओं का क्षणिक समय में काम हो जाता है। कृषि भूमि आराजी नम्बर 1659,1661,1662,1665,1666 कुल रकबा चार बीघा के प्रतिफल स्वरूप न्यास ने तिलक नगर के मुख्य मुख्य मार्गों पर बड़ी बड़ी रोडों पर बेशकिमती कोर्नर के बड़े बड़े भूखण्ड दिये जिनकी संख्या कुल 05 है मिली सूत्रों व नाम न बताने की स्थिति में जानकारी अनुसार दिये गये मुआवजे के 05 भूखण्डों में से दो भूखण्डों की रजिस्ट्री उप पंजीयत भीलवाड़ा के यह हुई थी। सूत्रों का तो यहा तक कहना है कि न्यास के अधिकारी व कार्मिकों की मन चाही अद्रश्य लाभ पुर्ति न होने से न्यास के उच्च अधिकारीयों व लिस्ट कार्मिकों को मालूम चलते ही प्रकरण एफआईआर दर्ज करा रजिस्ट्री निरस्त करवा दी। लेकिन जो बड़ा बेशकीमती मुआवजा खातेदार को दिये जा चुका था उसकी वस्तुली की कोई कार्यवाही नहीं किए गई क्यों इसके पिछे क्या बड़ा अद्रश्य राज था जो कि एक जाँच का बहुत बड़ा विषय है।

# बेशकिनती कृषि बसी कॉलोनी का दिया बेशकिनती मुआवजा

नगर विकास न्यास द्वारा राजस्व ग्राम भीलवाड़ा की आराजी संख्या 2214, 2215, 2216, 2217 कुल रकबा 5 बीघा तीन बिस्वा का 1/2 हिस्सा खातेदार धर्मन्द्र सिंह शक्तावता पुत्र शिव सिंह शक्तावत का था जिन्होंने पूर्व में कृषि भूमि पर कृषि भूखण्ड विक्रय कर दिये थे और उन पर मकान बने होने के बावजूद नगर विकास न्यास से अवार्ड संख्या 129/91 दिनांक 30.01.2024 को पारीत करा कर मुआवजे के रूप में भूखण्ड संख्या 4-जे-43, 4-जे-44 क्षेत्रफल एक भूखण्ड का 3989 था जिनका कुल क्षेत्रफल 6 हजार 942 वर्ग फुट था जो मुआवजे के रूप में लेकर (अ) अर्पित पुत्र श्याम सुन्दर (ब) गोपाल झवर पुत्र प्रहलाद झवर (स) नरेन्द्र राठी पुत्र बालमुकन्द राठी को भूखण्ड संख्या 4-जे-43 का दिनांक 15.12.2023 को जरीये पंजीकृत बैचान बैचान कर दिया। भूखण्ड संख्या 4-जे-44 का धर्मन्द्र सिंह शक्तावता पुत्र शिव सिंह शक्तावत द्वारा (अ) अर्पित बिडला पुत्र बालूराम बिडला (ब) कैलाश बद्रीलाल काबरा पुत्र बद्रीलाल जगन्नाथ काबरा (स) राकेश राठी पुत्र दामोदर राठी को कर दिया लेकिन राजस्व रेकॉर्ड में अवास भूमि नगर विकास न्यास के नाम इन्द्राज होने के बावजूद भी भौतिक कब्जा न्यास नहीं ले पाया है और मुआवजा जारी कर दिया है। ऐसा क्यों व किन कारणों से किया गया इसके पिछे कौन कौन है जाँच करा कड़ी से कड़ी विधि कार्रवाई क्यों नहीं की गई...? उक्त मुआवजा देने का सबसे बढ़ा कारण है कि मौके पर एक इंच भी जगह नहीं होने से कृषि भूमि के मलिक द्वारा कृषि भूखण्ड काट दिए और वहा पर मकाल बन गए के पश्चात मुआवजे की फाईल नगर विकास न्यास में लगाई गई और बेचे कृषि भूखण्डों को मुआवजा उठा लिया गया जो कि एक राज्य सरकार के साथ धोखाधड़ी का कृत्य है इस मुआवजे को स्वीकृत कराने के लिए नगर विकास न्यास के किस किस अधिकारी ने किस किस कार्मिकों के जरिए हस्ताक्षर कर भुगतान किया और मुआवजा स्वीकृत कराने में भीलवाड़ा के कौन कौन दलाल व सफेद पोश सामिल है। जो एक बहुत बड़ा रहस्यमही विषय है और यह बताता है कि नगर विकास न्यास में इस तरह के दूषित और भृष्टाचारी कृत्य कितने लम्बे समय से चल रहे हैं। जिससे सरकार के राजस्व को बड़ी हानी हो रही है और इस तरह की कई पत्रावलियां भी गायब हैं जिसके लिए भी संबंधित आला अधिकारी व कार्मिक मौनमुख दर्शक बने हए हैं...?